।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 2476 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, 03/11/2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्णप्रयाग।

अति आवश्यक

विषयः– **जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है0 , वन पंचायत 0.54 है0 कुल 1.365 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– इस कार्यालय की पत्र सं0 1595 / 12–1 दिनांक 22.10.2021.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जो इस कार्यालय द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। जिसमे इस कार्यालय द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव विहार से हवाई दूरी प्रमाण पत्र प्रस्ताव व ऑनलाईन संलग्न नही होने के कारण हवाई दूरी प्रमाण पत्र बनाने हेतु लिखा गया था। परन्तु आतिथि तक भी आप द्वारा इस कार्यालय को हवाई दूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया गया है। जो बड़े खेद का विषय है।

अतः उक्त प्रकरण के त्वरित कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड राजपुर रोड़ देहरूदन के कार्यालय को हवाई दूरी प्रमाण पत्र तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि उक्त प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–मुख्य वन संरक्षक आई0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय

"उत्तराखण्ड वन–सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून। दूरभाष 0135–2749955

पत्रांक– 933 /32-1-2(जी.आई.एस.) देहरादून, दिनांकः03 दिसम्बर, 2019।

"कार्यालय आदेश"

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, के पत्रांक F.No.11-9/98-FC दिनांक 08.07.2011 द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण के सम्बन्ध में याचक विभागों को Geo-referenced digital data map उपलब्ध कराये जाने के निर्देशों के क्रम में याचक विभागों द्वारा सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के उक्त digital data से सम्बन्धित लागत के समतुल्य याचक विभाग से ली जाने वाली धनराशि की दरों को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–54/7(व0भू0ह0)–2011–69(91)/2011 दिनांक 24 फरवरी, 2012 से राज्य के सभी विभागों को शासकीय निर्देशों के साथ परिचालित किया गया। महंगाई/बाजार दरों में वृद्धि आदि को देखते हुये निम्न तालिका के क्रम सं0 1 व 2 पर अंकित सेवाओं के संबंध में उक्त दरों में संशोधन किया गया एवं क्रम सं0 3 पर अंकित सेवा हेतु प्रथम बार दरों का निर्धारण किया गया। निम्न तालिका में क्रम सं0 4, 5 व 6 पर अंकित कतिपय सेवाओं की दरों का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा अनुमोदन के क्रम में निम्न प्रकार किया जाता है:–

क्र0 सं0	डिजिटल डाटा विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
1	परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का के0एम0एल0 पॉलिगन, जियोरेफरेन्स एवं डिजिटल (टोपोशीट) मानचित्र	₹ 5000/–	प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय का पत्रांक ख–3028/32–1, दिनांक 11.5.2018
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सी0ए0) हेतु के0एम0एल0 पॉलिगन, जियोरेफरेन्स एवं डिजिटल (टोपोशीट) मानचित्र	₹ 5000/–	प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय का पत्रांक ख–3028/32–1, दिनांक 11.5.2018
3	हवाई दूरी प्रमाण–पत्र (Distance From Forest/PA)	₹ 1500/–	मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय आदेश सं0 184/32–1–2 (GIS) दिनांक 01.03.2019
4	के0एम0एल0 (Linear to Polygon Conversion)	₹ 3000/–	–
5	ग्रामों की के0एम0एल0 पॉलिगन	₹ 2000/–	–
6	मानचित्रों में संशोधन	₹ 5000/–	–

याचक विभाग द्वारा मानचित्र/हवाई दूरी आदि प्रमाण–पत्र बनवाने हेतु इस कार्यालय को अवश्यमेव उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना का विवरण निम्नवत है:–

1. पत्र के साथ परियोजना/प्रस्ताव की के0एम0एल0 फाईल/कॉर्डिनेट्स।
2. परियोजना से लाभान्वित ग्रामों की लोकेशन व नाम।
3. के0एम0एल0 पॉलिगन बनाने हेतु उसकी Linear के0एम0एल0 फाईल।
4. परियोजना /प्रस्ताव की लम्बाई व चौड़ाई।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सी0ए0) का प्रस्तावित क्षेत्रफल।
6. **प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग** के नाम निर्धारित शुल्क का **बैंक ड्राफ्ट।**
7. याचक विभाग द्वारा कम से कम एक बार अपने प्रतिनिधि को भेजकर के0एम0एल0 फाईल व मानचित्र से संबंधित औपचारिकताओं को जी0आई0एस0 विशेषज्ञ को समझाना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner